भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की केंद्रीय सलाहकार समिति की 11वीं बैठक के कार्यवृत्त

दिनांक 7 मार्च, 2014 को प्रगति मैदान, नई दिल्ली में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की केंद्रीय सलाहकार समिति की 11वीं बैठक आयोजित की गई। बैठक में शामिल होने वाले प्रतिभागियों की सूची **अनुलग्नक–1** में दी गई है।

1. सुश्री विनोद कोतवाल, निदेशक (प्रवर्तन), एफएसएसएआई ने केंद्रीय सलाहकार समिति की 11वीं बैठक में सभी सदस्यों और उनके प्रतिनिधियों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। गौरतलब है कि वर्ष 2013–2014 के दौरान इस अधिनियम को लागू करने में काफी प्रगति हुई और केंद्रीय सलाहकार समिति की 11वीं बैठक में विचार–विमर्श के दौरान वर्ष 2014–2015 के लिए प्रारूप भी तैयार किया गया।

2. एफएसएसएआई के अध्यक्ष, श्री चंद्रमौली ने अपने भाषण में कहा कि पिछली सीएसी की बैठक जो कि सितंबर 2013 में आयोजित की गई थी, से लेकर अब तक लाइसेंस बनाने और पंजीकरण का कार्य करने की गति काफी बढ़ी है। उन्होंने राज्य/ केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार द्वारा एफएसएस अधिनियम के तहत उनके सक्रिय समर्थन और निष्कपटता से कार्य करने के लिए आभार व्यक्त किया। हालांकि, कई राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों ने खुद एक शाश्वत ऊर्जा से लाइसेंस बनाने और पंजीकरण करने का कार्य किया लेकिन कुछ राज्यों के मामले में कार्य करने की गति धीमी थी। उन्होंने विशेष रूप से, 16 राज्यों की सराहना की जहां एनआईएसजी के सक्रिय समर्थन के साथ ऑनलाइन खाद्य लाइसेंस और पंजीकरण प्रणाली (एफएलआरएस) के माध्यम से लाइसेंस बनाने और पंजीकरण करने का जिम्मा लिया। सीएसी का ध्यान इस ओर भी आकर्षित किया गया कि 2013 के दौरान कैबिनेट सचिव ने एफएसएस अधिनियम के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए राज्य/ केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार को दो पत्र लिखे थे, यह सरकार द्वारा इस अधिनियम को दिए गए महत्त्व को दर्शाता है। इस बात को महत्व दिया गया कि अधिनियम को लागू करते समय उपभोक्ताओं का हित सबसे बड़ा उद्देश्य होगा। अधिनियम के कार्यान्वयन के प्रारंभिक वर्षों में एफबीओ के पंजीकरण किए गए और लाइसेंस जारी किए गए लेकिन अब मुख्य ध्यान निगरानी की गतिविधियों पर होगा। यह जोर दिया गया कि उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षित और स्वास्थ्यकर भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आने वाले वर्षों का विषय निगरानी–पूर्ण और चुस्त होना चाहिए।

निगरानी–गतिविधियां आरंभ करते समय यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि उपलब्ध संसाधनों (जैसे प्रयोगशाला का बुनियादी ढांचा और श्रमशक्ति) का सर्वश्रेष्ठ इस्तेमाल कैसे हो। भोजन की आवाजाही की खुफिया जानकारी पर ध्यान देने के मामले में कई विकसित देशों का निगरानी नेटवर्क मजबूत है। हम भी धीरे–धीरे और नियमित रूप से प्रबल बनने, तथा सुव्यवस्थित निगरानी नेटवर्क तैयार करने की दिशा में कार्य करेंगे।

एफएसएसएआई के अध्यक्ष, ने सभी सदस्यों से एफएसएसएआई द्वारा निर्मित डीओ/एओ/एफएसओ मैन्युअल (जिसे सीडी में बैठक में परिचालित किया गया था) का निरीक्षण करने और अपनी बहुमूल्य टिप्पणी/सुझाव, यदि कोई हो, देने का आग्रह किया। यह देखा गया कि अधिनियम को लागू करने के लिए किसी भी परिमाण में प्रशिक्षण पर्याप्त नहीं हो सकता लेकिन एक भागीदारीपूर्ण अभ्यास होना आवश्यक है। अपने भाषण के समापन में, एफएसएसएआई के अध्यक्ष ने जोर दिया कि सीएसी का इस्तेमाल विचारों के आदान–प्रदान करने वाले एक मंच के रूप में किया जाना चाहिए और सीएसी के सदस्यों को अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए सर्व संभव विधियों द्वारा अपने सुझाव देने चाहिए।

3. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव, डॉ. ए. के. पांडा ने एफएसएस अधिनियम, 2006 के कार्यान्वयन पर मंत्रालय का परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया। राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के स्तर पर सभी खाद्य व्यापार ऑपरेटरों को या तो लाइसेंस की या पंजीकरण की आवश्यकता होगी। हालांकि, विभिन्न राज्यों में भारी कार्य–निष्पादन की खाई को देखते हुए, अवधि बढ़ा दी गयी थी। उन्होंने सभी राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों से अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए मुख्य सचिव स्तर पर बैठक बुलाने का आग्रह किया। उन्होंने उपभोक्ताओं/एफबीओ आदि में जागरूकता लाने के लिए प्रशासकों और आईईसी गतिविधियों के लिए कार्यशाला/प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के महत्व पर बल दिया। उन्होंने संसद के प्रश्नों और अन्य निगरानी कार्य के लिए राज्यों से समय पर एवं सटीकता से मासिक आधार पर जानकारी देने की आवश्यकताओं पर जोर दिया। यह अनुरोध किया गया कि प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों को एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति करनी चाहिए जो एफएसएसएआई को निर्धारित प्रारूप में मासिक प्रगति डाटा भेजने के प्रति जबावदेह होगा ताकि एफएसएसएआई संकलन कर सके और उसे भारत सरकार को प्रेषित कर सके। उन्होंने आगे यह सूचित किया कि केंद्र प्रायोजित योजना के अनुमोदन के बाद राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को वित्त मंत्रालय द्वारा खाद्य सुरक्षा के बुनियादी ढांचे के लिए 12वीं योजना में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। एफएसएसएआई ने राज्य/के.शा. सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जिसमें निर्धारित समय सीमा/निगरानी के लक्ष्य का पालन करने के लिए धनराशि किस्त के आधार पर जारी की जाएगी। उन्होंने एफएसएस अधिनियम के क्रियान्वयन में

उनकी सक्रिय भागीदारी के लिए सभी राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को धन्यवाद दिया।

4. श्री समंतरे, सीईओ, एफएसएसएआई ने सितम्बर 2013 में आयोजित पिछली सीएसी की बैठक के बाद अपने स्वागत भाषण में उल्लेख किया कि एफबीओ के लाइसेंसीकरण/पंजीकरण पर काफी जोर दिया गया था। राज्यों से भी उनके राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के एफबीओ की अनुमानित संख्या की जानकारी प्रदान करने का अनुरोध किया गया था। प्रारंभ में, चूंकि एफबीओ की संख्या का कोई डाटा उपलब्ध नहीं था, अतः लगभग 5.5 करोड़ एफबीओ का एक मोटा अनुमान लगाया गया (अर्थात कुल जनसंख्या का 5%)। हालांकि, प्रमुख राज्यों द्वारा प्रदान किए गए एफबीओ की संख्या के अनुमानित आंकड़ों के आधार पर, यह अवगत हुआ कि एफबीओ की संख्या कुल आबादी की 1.5–2 % की सीमा में हो सकती है अर्थात् लगभग 1.5–2 करोड़। इस कुल अनुमानित आबादी में से, लगभग 85% एफबीओ पंजीकृत होंगे और शेष लाइसेंसीकृत होंगे। लगभग 30 लाख एफबीओ लाइसेंसीकृत या पंजीकृत हो चुके हैं और एफबीओ के पंजीकरण के लिए और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। उन्होंने शेष राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों से अनुमान के इस अभ्यास को पूरा करने का आग्रह किया। उन्होंने एफएलआर अपनाने के लिए विभिन्न राज्यों द्वारा लिए गए निर्णय की सराहना की और उन राज्यों से अनुरोध किया जिन्होंने एफएलआर नहीं अपनाया था या उनसे भी जो एफएलआर अपनाने के लिए विभिन्न सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे हैं ताकि आवेदन की भौतिक हैंडलिंग समाप्त करके और संबंधित पक्षों के तेजी से निर्णय लेने की सुविधा के लिए सभी आंकडो से एक ही बिंदु पर सामंजस्य और पहुंच स्थापित की जा सके। 16 राज्यों के अलावा, जिन्होंने पहले ही एफएसएसएआई, अपनाई हुई थी, एफएसएसएआई के सीईओ ने कर्नाटक और पंजाब की राज्य सरकार को 1 अप्रैल, 2014 में एफएलआरएस अपनाने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने पंजाब सरकार को भी राज्य में खाद्य सुरक्षा संरचना को मजबूती देने के लिए लगभग 400 पदों की मंजूरी के लिए धन्यवाद दिया। एफएसएसएआई के सीईओ ने, एफएसएसएआई के अपने भाषण में अध्यक्ष के इस बिंदु को दोहराते हुए, जोर दिया कि 2014–2015 के दौरान निगरानी गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और पांच राज्य, जिन्होंने उत्कृष्ट निगरानी का कार्य किया है, सीएसी में प्रस्तुतिकरण के लिए जाएंगे। एफएसएसएआई के सीईओ ने सभी सदस्यों का ध्यान माननीय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए एक महत्वपूर्ण निर्णय के प्रति आकर्षित किया। विशेष रूप से, माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित स्वामी अच्युतानंद बनाम यूओआई के मामले की ओर ध्यान आकर्षित किया जहां अदालत ने ये निर्देश दिए थे कि सिंथेटिक दूध के उत्पादन और बिक्री पर एफएसएस अधिनियम में उपयुक्त संशोधन करके आजीवन कारावास की सजा दी जानी चाहिए। 2004 में

भारत संघ बनाम जनहित याचिका केंद्र की मामला–प्रदेश याचिका सं. 681 में दिनांक 22 अक्टूबर, 2013 में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने एफएसएसएआई को निर्देश दिए कि "सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अपने समकक्षों सहित अपने संसाधनों को सक्षम बनाया जाए और प्रमुख फलों और सब्जी बाज़ार की समय–समय पर निगरानी और निरीक्षण किया जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे अधिनियम और नियमों द्वारा स्थापित ऐसे मानकों के अनुरूप हैं।" निर्णय में यह भी कहा गया था कि "दंड प्रावधान भी अधिनियम में प्रदान किया जाता है इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि अधिनियम का प्रावधान ठीक से और प्रभावी ढंग से लागू किया जाए ताकि राज्य, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन गारंटी के अधिकार की सुरक्षा करते हुए उपयुक्त स्तर का मानव जीवन और स्वास्थ्य प्राप्त कर सके"। उन्होंने स्कूलों में उपलब्ध गुणवत्ता और सुरक्षित भोजन बनाने के दिशा–निर्देशों की तैयारी पर दिल्ली उच्च न्यायालय के सदस्यों का ध्यान एफएसएसएआई के निर्देशों की ओर आकर्षित किया। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि उपभोक्ताओं को केंद्रीय स्तर पर लाना चाहिए। यह अनुमान लगाया गया था कि 2030 तक, 50% आबादी शहरी क्षेत्रों में रहने लगेगी जो अपने अधिकारों के प्रति सतर्क एवं जागरूक होगी। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि इस अधिनियम को और अधिक उपभोक्ता केन्द्रित किया जाए ताकि सुरक्षित भोजन के लिए उनका अधिकार सुरक्षित किया जा सके। सीएसी और प्राधिकरण में उपभोक्ता संघों के प्रतिनिधि शामिल हैं। उपभोक्ताओं में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से 'खाद्य प्राधिकरण' भी 'उपभोक्ता मामलों के विभाग' के साथ मिलकर काम कर रहा है। उपभोक्ता की जागरूकता सहित अधिनियम के विभिन्न पहलुओं पर एक सफल आईआईसी अभियान तमिलनाडु में भारतीय उपभोक्ता संघ के साथ शुरू किया गया था। एक व्यापक आईआईसी अभियान के लिए एफएसएसएआई भी उत्तरप्रदेश के एसआईआरडी के साथ करार कर रहा है। इस अधिनियम को एक महान सफलता दिलाने का हमारा प्रयास रहेगा। एफएसएसएआई के अध्यक्ष, सीईओ, एफएसएसएआई और जेएस, एमओएचएफडब्ल्यू द्वारा संबोधन करने के बाद, कार्यसूची के मुद्दों पर चर्चा शुरू की गयी।

कार्यसूची मद सं.1: दिनांक 27 सितंबर, 2013 को आयोजित सीएसी की दसवीं बैठक की रिपोर्ट की पुष्टि।

समिति ने दिनांक 27 सितंबर, 2013 को आयोजित सीएसी की दसवीं बैठक की रिपोर्ट की पुष्टि की।

कार्यसूची मद सं. 2: स्कूलों में उपलब्ध गुणवत्ता और सुरक्षित भोजन तैयार करने के लिए दिशा–निर्देशों को अंतिम रूप देना

एफएसएसएआई के सीईओ ने विशेषज्ञ समूह के अध्यक्ष के रूप में इस संबंध में कार्य पूर्ण किए जाने के बारे में सीएसी को सूचित करने के लिए एफएसएसएआई के सलाहकार से अनुरोध किया।

विशेषज्ञ समूह के अध्यक्ष के रूप में एफएसएसएआई के सलाहकार ने स्कूलों में उपलब्ध गुणवत्ता और सुरक्षित भोजन तैयार करने के दिशा–निर्देश बनाने और स्कूलों में अध्ययन सर्वेक्षण का संचालन करने के लिए प्रादेशिक–याचिका (सी) 8568/2010 पर दिल्ली के निर्देश पर, माननीय उच्च न्यायालय के बारे में सदस्यों को बताया और उनसे चर्चा की। उन्होंने विशेषज्ञ समूह की छठवीं बैठक में आयोजित चर्चा और विशेषज्ञ समूह के गठन के बारे में सदस्यों को जानकारी दी। मसौदा के दिशा–निर्देशों को विशेषज्ञ समूह द्वारा 28.2.2014 को आयोजित अपनी छठी बैठक में अंतिम रूप दिया गया और विचार–विमर्श हेतु कार्यसूची सं.2 के रूप में सीएसी को प्रस्तुत किया गया। उन्होंने सीएसी का नोटिस भी बताया, मसौदा के दिशा–निर्देशों के फुटनोट के रूप में उल्लिखित विशेषज्ञ समूह के सदस्यों के बीच असहमति के निम्नलिखित दो अंक इस प्रकार हैं:–

क) उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों का मत था कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के तहत जनादेश में स्कूलों के बाहर के क्षेत्रों को शामिल न किया जाए।

ख) वही सदस्य – बाल रोग व पोषण विशेषज्ञों का मत था कि क्षेत्र के 50 मीटर के दायरे में और स्कूलों में सबसे आम एचएफएसएस भोजन पर प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए।

यह भी बताया गया कि विशेषज्ञ समूह के एक सदस्य ने कार्यसूची मद के रूप में सीएसी को मसौदा के दिशा–निर्देश वितरित करने के बाद उनमें कुछ परिवर्तन करने का सुझाव दिया था।

2. सदस्य की टिप्पणियां सीएसी की बैठक में वितरित की गईं। दिशा–निर्देश बिन्दुओं पर सदस्यों द्वारा की गईं सामान्य टिप्पणियां निम्नलिखित हैं :–

- मसौदा दिशा–निर्देशों में पोषक तत्वों की कमी वाले क्षेत्रों का विवरण नहीं है।
- मसौदा दिशा–निर्देश शहरी क्षेत्र की ओर केन्द्रित है।
- दिशा–निर्देशों में रसोई लेआउट को शामिल किया जाना चाहिए।
- एचएफएसएस के खाद्य पदार्थों के विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाना, मसौदा के दिशा–निर्देशों में शामिल किया जाना चाहिए।
- शब्द "जंक फूड" का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।
- प्रतिबंध/सीमित उपलब्धता की बजाय एचएफएसएस के खाद्य पदार्थों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।

- स्कूल के आसपास 50 मीटर के दायरे में जारी किए गए लाइसेंस का क्या होगा ?
- मसौदा के दिशा–निर्देशों में कैलोरी की खपत के लिए मापक तन्त्र होने चाहिए।

विशेषज्ञ समूह के तहत अध्यक्ष द्वारा दिए गए बिंदु–वार उत्तर इस प्रकार हैं :–

- पोषक तत्वों की कमी वाले क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए, सैंपल मेनू (पेज 12–13 पर), और संतुलित आहार, और बच्चों के आहार की जरूरतें पेज 3–4 के मसौदा के दिशा–निर्देशों में शामिल की गईं हैं।
- मसौदा के दिशा–निर्देशों को तैयार करने से पहले नीलसन द्वारा किए गए सर्वेक्षण में शहरी / उप–शहरी / ग्रामीण क्षेत्रों के विभिन्न स्कूलों को शामिल किया गया है। आसान समझ के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों को लाभ देने के लिए तस्वीरें प्रदान की गईं।
- विशेषज्ञ समूह में इस मामले की चर्चा हुई। यह महसूस किया गया कि यह स्थान और धन की उपलब्धता पर निर्भर है। इसके अलावा, अधिकांश स्कूलों में रसोई की उपलब्धता का अभाव होने के कारण, एक स्कूल की कैंटीन नीति का सुझाव, पेज–10 पर मसौदे के दिशा–निर्देशों में शामिल किया गया हैं।
- एचएफएसएस फूड्स के संवर्धन का मुद्दा पेज–13 में मसौदे के दिशा–निर्देशों में संबोधित किया गया है।
- शब्द "एचएफएसएस फूड्स" का प्रयोग दिशा–निर्देशों में विशेषज्ञ समूह के सदस्यों की आम सहमति से किया गया है।
- चूंकि इन उत्पादों के लिए एफएसएसएआई के कुछ मानक हैं, अतः इन उत्पादों के प्रतिबन्ध का सुझाव संभव नहीं है। इस प्रकार, विशेषज्ञ समूह के सदस्यों के बीच प्रतिबंध/सीमित उपलब्धता की सहमति जताई गई।
- चूंकि, दिशा–निर्देशों में उत्पादों पर प्रतिबंध का प्रस्ताव नहीं है। अतः जारी किए जाने वाले या जारी किए गए लाइसेंस के साथ कोई मुद्दा नहीं होगा।

इस प्रयोजन के लिए, "कटोरी" आदि के संबंध में आसान समझ के लिए पेज–12 में दिया गया सैंपल मेनू निर्धारित किया गया। सभी प्रासंगिक जानकारी के खुलासे को सक्षम करने के लिए मसौदे के दिशा–निर्देश नाम–पत्रण नियमों की समीक्षा करने की सलाह देते हैं। सामान्य टिप्पणी के बाद, सीएसी सहमत हुई कि कार्यसूची पेपर–2 में निहित मसौदा के दिशा–निर्देश स्वीकार्य थे और माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। यह भी निर्णय लिया गया कि सीएसी के सदस्य मसौदा के दिशा–निर्देशों पर और सीएसी में एक विशेषज्ञ समूह द्वारा की गयी टिप्पणियों पर परिचालित कागज़पर एफएसएसएआई को 10 मार्च, 2014

तक लिखित रूप में, अपनी टिप्पणियां भेज सकते हैं। तदनुसार, मसौदा के दिशा–निर्देश और प्राप्त टिप्पणियां, माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली को12.03.2014 को प्रस्तुत की जाएँगी।

कार्यसूची मद सं.3: एफएसएस अधिनियम, 2006 के कार्यान्वयन से संबंधित राज्य/ केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति

एफएसएसएआई के सीईओ, ने व्याख्या की कि प्रगति रिपोर्ट न्यूनतम जानकारी है जिसे एक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश को राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की प्रगति का आंकलन करने के लिए भेजा जाना चाहिए और यह मुद्दा सुलझाने के लिए आगे की नीतियां तैयार करने में सहायक होंगी। उन्होंने आगे कहा कि राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों को बहुत सावधानीपूर्वक जानकारी और डाटा प्रस्तुत करना चाहिए और उसे संसद और विभिन्न समितियों को सूचित किया जाना चाहिए। उन्होंने इस तथ्य की सराहना की कि अरुणाचल प्रदेश, गोवा, झारखंड, तमिलनाडु और उत्तराखंड के एफएससी नियमित रूप से मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे थे। उन्होंने पिछली सीएसी के बाद से एफबीओ की लाइसेंस/पंजीकरण पर जबरदस्त काम करने के लिए महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, कर्नाटक और केरल राज्यों की सराहना की। यह अनुरोध किया गया था कि सभी राज्यों को जिन्होंने एफएलआर लागू किया है, को सिस्टम में भौतिक रूप से जारी किए गए लाइसेंस/पंजीकरण का विवरण दर्ज करना चाहिए। इससे सटीक एमआईएस रिपोर्ट सृजित करने में सहायता मिलेगी। उन्होंने हरियाणा और दिल्ली की एफएससी से लाइसेंस/पंजीकरण को जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाने का अनुरोध किया।

कार्यसूची मद नं. 3: एफएसएस अधिनियम, 2006 का प्रवर्तन

एफएसएसएआई के सीईओ ने अनुरोध किया कि राज्य/केंद्र शासित प्रदेश जिन्होंने अब तक ऑनलाइन एफआरएस की प्रक्रिया की शुरुआत नहीं की है उन्हें ऑनलाइन लाइसेंस और पंजीकरण करना शुरू कर देना चाहिए क्योंकि इससे जल्द से जल्द प्रक्रिया आरंभ करने में उन्हें सहायता मिलेगी। ऑनलाइन एफएलआर की सेवा एफएसएसएआई के द्वारा प्रदान की गयी थी, अतः राज्यों को इससे लाभ लेना चाहिए। श्री संजय गुप्ता, एडी (प्रवर्तन) निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करते हैं :– राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों में श्रमशक्ति, एफएसएस अधिनियम, 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों में एफएलआर की प्रगति औरएकत्र किए गए सैंपल का परीक्षण। प्रस्तुतिकरण में वे राज्य/केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल हैं जिन्होंने संचालन समिति और न्यायाधिकरण गठित किया है।

एफएसएसएआई के सीईओ ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में अपनी हर माह की नियमित बैठक में और संचालन समिति के संविधान के महत्व पर विचार–विमर्श किया। राज्य के विभिन्न विभागों से संबंधित विभिन्न मुद्दों की इन बैठकों में चर्चा की गयी और बैठक में उन्हें हल किया गया। उन्होंने सभी राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की संचालन समिति की बैठकों पर मासिक रिपोर्ट भेजने का अनुरोध किया। यदि राज्य/संघ राज्य सरकार की इच्छा हो, तो एफएसएसएआई के नोडल अधिकारी भी संचालन समिति की बैठक में हिस्सा ले सकते हैं। एफएसएसएआई के सीईओ यह भी जोर देते हैं कि राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा भेजे गए प्रयोगशाला संबंधित डाटा को इसकी शुद्धता के लिए जांचा जाना चाहिए क्योंकि इन्हें एफएसएसएआई के आधिकारिक दस्तावेज के रूप में, विभिन्न न्यायालयों के सामने या संसद, समितियों के सामने प्रस्तुत किया जाता है।

एफएसएसएआई के सीईओ जोर देते हुए कहा कि एफएसओ की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है इसलिए जहां तक अधिनियम के कार्यान्वयन का प्रश्न है तो अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए मुकदमा आखिरी हथियार होना चाहिए। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में एक संक्षिप्त रिपोर्ट नीचे प्रस्तुत है:

1. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह

क) खाद्य सुरक्षा आयुक्त, 3 डीओ, 18 एफएसओ, और 3 एओ अधिसूचित हैं।

ख) कोई खाद्य विश्लेषणकर्ता अधिसूचित नहीं है।

ग) अब तक 402 लाइसेंस और 4705 पंजीकरण जारी किए गए।

घ) अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना की गयी।

ड़) संचालन समिति गठित की गयी।

च) एक खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना की गयी जिसमें कोई खाद्य विश्लेषणकर्ता नहीं है। इसलिए अनौपचारिक रूप से खाद्य नमूने की जांच की जाती है जिसे कोई कानूनी वैधता नहीं है।

2. आंध्र प्रदेश

क) खाद्य सुरक्षा आयुक्त, 32 डीओ, 46 एफएसओ, 23 एओ और 8 खाद्य विश्लेषणकर्ता अधिसूचित हैं।

ख) अब तक 30,969 लाइसेंस और 94,994 पंजीकरण जारी किए गए।

ग) अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना प्रक्रियाधीन है।

घ) संचालन समिति गठित की गयी।

ड़) चार खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना की गयी।

3. अरुणाचल प्रदेश

क) खाद्य सुरक्षा आयुक्त, 32 डीओ, 46 एफएसओ, 23 एओ और 8 खाद्य विश्लेषणकर्ता अधिसूचित हैं।

ख) अब तक 1154 लाइसेंस और 4621 पंजीकरण जारी किए गए हैं।

ग) अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना की गयी।

घ) संचालन समिति गठित की गयी।

ड़) असम राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला की सेवाओं और सुविधाओं का इस्तेमाल किया जाता है और राज्य के लिए असम के खाद्य विश्लेषणकर्ता अधिसूचित किए जाते हैं।

4. असम

क) खाद्य सुरक्षा आयुक्त, 5 डीओ, 27 एओ, 14 वरिष्ठ एफएसओ और 1 खाद्य विश्लेषणकर्ता अधिसूचित हैं।

ख) अब तक 3206 लाइसेंस और 1898 पंजीकरण जारी किए गए हैं।

ग) अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना प्रक्रियाधीन है।

घ) संचालन समिति गठित की गयी।

ड़) एक राज्य खाद्य प्रयोगशाला स्थापित की गई है।

5. बिहार

क) खाद्य सुरक्षा आयुक्त, 9 डीओ, 36 एओ, 14 एफएसओ अधिसूचित हैं।

ख) अब तक 7790 लाइसेंस और 18842 पंजीकरण जारी किए गए हैं।

ग) अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना अब तक नहीं की गयी है।

घ) संचालन समिति अब तक गठित नहीं की गयी।

ड़) एक राज्य खाद्य प्रयोगशाला स्थापित की गई है।

6. चंडीगढ़

क) खाद्य सुरक्षा आयुक्त, 1 डीओ, 1 एओ, 3 एफएसओ अधिसूचित हैं।

ख) अब तक 2698 लाइसेंस और 306 पंजीकरण जारी किए गए हैं।

ग) अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना की गयी है।

घ) संचालन समिति गठित की गयी है।

ड़) खाद्य विश्लेषण के लिए पंजाब और हरियाणा की राज्य खाद्य प्रयोगशाला का इस्तेमाल किया जाता है।

7. दादर एवं नागर हवेली

क) खाद्य सुरक्षा आयुक्त, 1 डीओ, 1 एओ, 1 एफएसओ अधिसूचित हैं।

ख) अब तक 697 लाइसेंस और 2149 पंजीकरण जारी किए गए हैं।

ग) अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना नहीं की गयी है।

घ) संचालन समिति गठित नहीं की गयी है।

ड़) गुजरात की राज्य खाद्य प्रयोगशाला का इस्तेमाल खाद्य विश्लेषण के लिए किया जाता है। गुजरात के 6 खाद्य विश्लेषणकर्ता अधिसूचित किए गए हैं।

8. दिल्ली

क) खाद्य सुरक्षा आयुक्त, 8 डीओ, 15 एफएसओ, 11 एओ और 1 खाद्य विश्लेषणकर्ता अधिसूचित हैं।

ख) अब तक 3741 लाइसेंस और 5 पंजीकरण जारी किए गए हैं।

ग) अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना की गयी है।

घ) संचालन समिति की स्थापना प्रक्रियाधीन है।

ड़) एक एनएबीएल मान्यता प्राप्त खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना की गयी है।

9. गोवा

क) खाद्य सुरक्षा आयुक्त, 2 डीओ, 11 एफएसओ, 2 एओ और 2 खाद्य विश्लेषणकर्ता अधिसूचित हैं।

ख) अब तक 2069 लाइसेंस और 13816 पंजीकरण जारी किए गए हैं।

ग) अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना प्रक्रिया में है।

घ) संचालन समिति की स्थापना अब तक नहीं की गई है।

ड़) राज्य में एक खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला है लेकिन एनएबीएल से मान्यता प्राप्त नहीं है।

10. गुजरात

क) खाद्य सुरक्षा आयुक्त, 34 डीओ, 33 एए, 261 एफएसओ और 10 खाद्य विश्लेषणकर्ता अधिसूचित हैं।

ख) अब तक 35843 लाइसेंस और 95906 पंजीकरण जारी किए गए हैं।

ग) अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना की गई है।

घ) नौ खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं अधिसूचित की गयी है जिनमें से 2 एनएबीएल से मान्यताप्राप्त हैं।

ड़) राज्य के सभी जिलों में सक्रियता है।

11. हरियाणा

क) खाद्य सुरक्षा आयुक्त, 21 डीओ, 21 एए, 11 एफएसओ और 3 खाद्य विश्लेषणकर्ता अधिसूचित हैं।

ख) अब तक 4100 लाइसेंस और 8000 पंजीकरण जारी किए गए हैं।

ग) अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना की गई है।

घ) संचालन समिति की स्थापना प्रक्रियाधीन है।

ड़) राज्य में 2 खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं लेकिन एनएबीएल द्वारा मान्यताप्राप्त नहीं हैं।

12. हिमाचल प्रदेश

क) खाद्य सुरक्षा आयुक्त, 13 डीओ, 10 एए, 9 एफएसओ और 1 खाद्य विश्लेषणकर्ता अधिसूचित हैं।

ख) अब तक 23,374 लाइसेंस और 1,00,419 पंजीकरण जारी किए गए हैं।

ग) अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना की गई है।

घ) संचालन समिति की स्थापना की गयी है।

ड़) राज्य में 1 खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला है लेकिन एनएबीएल द्वारा मान्यताप्राप्त नहीं है।

13. जम्मू और कश्मीर

क) खाद्य सुरक्षा आयुक्त, 25 डीओ, 22 एए, 87 एफएसओ और 2 खाद्य विश्लेषणकर्ता अधिसूचित हैं।

ख) अब तक 67,27 लाइसेंस और61,116 पंजीकरण जारी किए गए हैं।

ग) अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना नहीं की गई है।

घ) संचालन समिति की स्थापना की नहीं गयी है।

ड़) राज्य में 2 खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं लेकिन एनएबीएल द्वारा मान्यताप्राप्त नहीं है।

14. झारखंड

क) खाद्य सुरक्षा आयुक्त, 24 डीओ, 24 एओ, 11 एफएसओ और एफएसओ के रूप में 194 एमयू प्रभारी हैं और अधिसूचित हैं।

ख) अब तक 5338 लाइसेंस और12680 पंजीकरण जारी किए गए हैं।

ग) अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना प्रक्रियाधीन है।

घ) संचालन समिति का गठन किया गया है।

ग) राज्य में 1 खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना की गयी है लेकिन एनएबीएल द्वारा मान्यताप्राप्त नहीं है।

15. कर्नाटक

क) खाद्य सुरक्षा आयुक्त, 36 डीओ, 76 एफएसओ, 30 एओ और 8 खाद्य विश्लेषणकर्ता अधिसूचित हैं।

ख) अब तक 21,443 लाइसेंस और 84,188 पंजीकरण जारी किए गए हैं।

ग) अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना प्रक्रियाधीन है।

घ) संचालन समिति का गठन किया गया है।

ड़) राज्य में 5 खाद्य प्रयोगशालाएं है।

च) दिनांक 6–3–2014 को एफएलआर सहित ऑनलाइन की गई हैं।

16. केरल

क) खाद्य सुरक्षा आयुक्त, 14 डीओ, 21 एओ, 78 एफएसओ और 8 खाद्य विश्लेषणकर्ता अधिसूचित हैं।

ख) अब तक 28,924 लाइसेंस और 1,62,854 पंजीकरण जारी किए गए हैं।

ग) अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना प्रक्रियाधीन है।

घ) संचालन समिति की स्थापना निर्माणाधीन है।

ड़) 3 राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं और एक जिला प्रयोगशाला की स्थापना की गयी है लेकिन एनएबीएल द्वारा मान्यताप्राप्त नहीं है।

17. मध्य प्रदेश

क) खाद्य सुरक्षा आयुक्त, 51 डीओ, 184 एफएसओ, 51 एओ और 1 खाद्य विश्लेषणकर्ता अधिसूचित हैं।

ख) अब तक 29,949 लाइसेंस और 2,53,573 पंजीकरण जारी किए गए हैं।

ग) अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना की गई है, बड़े अधिकारी नियुक्त किए जाने हैं।

घ) संचालन समिति की स्थापना की गयी है।

ड़) एक राज्य खाद्य प्रयोगशाला की स्थापना की गई है।

18. महाराष्ट्र

क) खाद्य सुरक्षा आयुक्त, 62 डीओ, 8 एओ, 265 एफएसओ 33 स्थानीय निकाय और 37 खाद्य विश्लेषणकर्ता अधिसूचित हैं।

ख) अब तक 1,51,057 लाइसेंस और 5,35,309 पंजीकरण जारी किए गए हैं।

ग) अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना की गई है (अस्थायी आधार पर)।

घ) संचालन समिति की स्थापना की गयी है।

ड़) 16 खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं है।

19. मणिपुर

क) खाद्य सुरक्षा आयुक्त, 9 डीओ, 9 एफएसओ, 9 एओ और 1 खाद्य विश्लेषणकर्ता अधिसूचित हैं।

ख) अब तक 394 लाइसेंस और 2350 पंजीकरण जारी किए गए हैं।

ग) अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना की गई है।

घ) संचालन समिति की स्थापना की गयी है।

ड़) दो राज्य खाद्य प्रयोगशालाओं की स्थापना की गयी है लेकिन एनएबीएल द्वारा मान्यताप्राप्त नहीं है।

20. मेघालय

क) खाद्य सुरक्षा आयुक्त, 1 उप–आयुक्त, 3 डीओ, 7 एओ और 7 एफएसओ अधिसूचित हैं।

ख) अब तक 1461 पंजीकरण और 1193 लाइसेंस जारी किए गए हैं।

ग) अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना की गई है।

घ) राज्य और जिला स्तर पर संचालन समिति की स्थापना की गयी है।

ड़) खाद्य विश्लेषणकर्ता का पद रिक्त है।

21. नागालैंड

क) खाद्य सुरक्षा आयुक्त, 11 डीओ, 11 एओ, 8 एफएसओ अधिसूचित है और 1 खाद्य विश्लेषणकर्ता अधिसूचित हैं।

ख) अब तक 280 लाइसेंस और 3110 पंजीकरण जारी किए गए हैं।

ग) अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना नहीं की गई है।

घ) संचालन समिति की स्थापना नहीं की गयी है।

ड़) 1 खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला अधिसूचित है।

22. उड़ीसा

क) खाद्य सुरक्षा आयुक्त, 37 डीओ, 37 एओ, और 9 एफएसओ अधिसूचित हैं।

ख) अब तक 4,722 लाइसेंस और 6,877 पंजीकरण जारी किए गए हैं।

ग) अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना की गई है।

घ) संचालन समिति की स्थापना प्रक्रियाधीन है।

ड़) 1 खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला अधिसूचित है लेकिन एनएबीएल द्वारा मान्यताप्राप्त नहीं है

च) खाद्य विश्लेषणकर्ता की अनुपलब्धता फूड सैंपल का विश्लेषण करने में बाधाएं उत्पन्न कर रही है।

23. पंजाब

क) खाद्य सुरक्षा आयुक्त, 22 डीओ, 22 एओ, 45 एफएसओ और 1 खाद्य विश्लेषणकर्ता अधिसूचित हैं।

ख) अब तक 10,860 लाइसेंस और 85,400 पंजीकरण जारी किए गए हैं।

ग) अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना की गई है।

घ) संचालन समिति की स्थापना की गयी है।

ड़) 1 खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना की गयी है लेकिन एनएबीएल द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है।

24. पुडुचेरी

क) खाद्य सुरक्षा आयुक्त, 2 एओ, 1 डीओ, 2 एफएसओ और 1 खाद्य विश्लेषणकर्ता अधिसूचित हैं।

ख) अब तक 1028 पंजीकरण और 352 लाइसेंस जारी किए गए हैं।

ग) अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना प्रक्रियाधीन है।

घ) संचालन समिति की स्थापना की गयी है।

ड़) 1 खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना की गई है लेकिन एनएबीएल द्वारा मान्यताप्राप्त नहीं है।

25. राजस्थान

क) खाद्य सुरक्षा आयुक्त, 42 डीओ, 88 एफएसओ, 48 एओ और 6 खाद्य विश्लेषणकर्ता अधिसूचित हैं।

ख) अब तक 55,425 लाइसेंस और 1,5,122 पंजीकरण जारी किए गए हैं।

ग) अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना प्रक्रियाधीन है।

घ) संचालन समिति की स्थापना की गयी है।

ड़) 6 राज्य खाद्य प्रयोगशालाओं की स्थापना की गयी है।

26. सिक्किम

क) खाद्य सुरक्षा आयुक्त, 2 डीओ, और 4 एओ अधिसूचित हैं।

ख) अब तक 1959 पंजीकरण और 360 लाइसेंस जारी किए गए हैं।

ग) अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना अब तक नहीं गई है।

घ) संचालन समिति की स्थापना की गयी है।

27. तमिल नाडु

क) खाद्य सुरक्षा आयुक्त, 32 डीओ, 32 एओ, 584 एफएसओ और 6 खाद्य विश्लेषणकर्ता अधिसूचित हैं।

ख) अब तक 66,605 लाइसेंस और 3,46,581 पंजीकरण जारी किए गए हैं।

ग) अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना अब तक नहीं की गई है।

घ) संचालन समिति की स्थापना प्रक्रियाधीन है।

ड़) 6 राज्य खाद्य प्रयोगशालाओं की स्थापना की गई है लेकिन कोई भी एनएबीएल द्वारा मान्यताप्राप्त नहीं है।

28. त्रिपुरा

क) खाद्य सुरक्षा आयुक्त, 9 डीओ, 8 एओ, और 4 एफएसओ अधिसूचित हैं।

ख) अब तक 1161 लाइसेंस और 3,848 पंजीकरण जारी किए गए हैं।

ग) अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना की गई है।

घ) संचालन समिति की स्थापना की गई है।

ड़) एक राज्य खाद्य प्रयोगशाला की स्थापना की गई है।

29. उत्तराखंड

क) खाद्य सुरक्षा आयुक्त, 14 डीओ, 29 एफएसओ, 13 एओ और 1 खाद्य विश्लेषणकर्ता अधिसूचित हैं।

ख) अब तक 4405 लाइसेंस और 31,333 पंजीकरण जारी किए गए हैं।

ग) अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना प्रक्रियाधीन है।

घ) संचालन समिति की स्थापना की गयी है।

ड़) एक राज्य खाद्य प्रयोगशाला की स्थापना की गई है।

30. उत्तर प्रदेश

क) खाद्य सुरक्षा आयुक्त, 75 डीओ, 75 एओ, 287 एफएसओ और 3 खाद्य विश्लेषणकर्ता अधिसूचित हैं।

ख) अब तक 29,142 लाइसेंस और 2,28,328 पंजीकरण जारी किए गए हैं।

ग) अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना की गई है।

घ) संचालन समिति की स्थापना की गयी है।

ड़) कुल 6 में से 5 खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं चालू हैं।

31. पश्चिम बंगाल

क) खाद्य सुरक्षा आयुक्त, 20 डीओ, 49 एफएसओ, 19 एओ और 2 खाद्य विश्लेषणकर्ता अधिसूचित हैं।

ख) अब तक 8,788 लाइसेंस और26,476 पंजीकरण जारी किए गए हैं।

ग) अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना अब तक नहीं की गई है।

घ) संचालन समिति की स्थापना अब तक नहीं की गयी है।

ड़) एक राज्य खाद्य प्रयोगशाला की स्थापना की गई है लेकिन एनएबीएल द्वारा मान्यताप्राप्त नहीं है।

कार्यसूची मद सं. 5: लाइसेंस/पंजीकरण

एफएसएसएआई के सीईओ ने सुझाव दिया कि सभी राज्य जिन्होंने अब तक प्रक्रिया की शुरुआत नहीं की है उन्हें ऑनलाइन लाइसेंस और पंजीकरण के साथ आरंभ कर देना चाहिए क्योंकि इससे प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि 12वीं योजना के तहत धनराशि जारी करने के लिए ज्ञापन समझौते पर हस्ताक्षर करते समय, एक महत्वपूर्ण मानदंड राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों में ऑनलाइन एफएसएसएआई को अपनाना

है। आन्ध्रप्रदेश, छत्तीसगढ़, दमन और द्वीप, लक्षद्वीप, मणिपुर, मिजोरम और सिक्किम से प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति दर्ज की गई।

कार्यसूची मद सं. 06: एफएसएसएआई का क्रियान्वयन

एफएसएसएआई के सीईओ ने दोहराया कि एफएसएसएआई जनशक्ति की कमी को दूर करने और एफबीओ और उपभोक्ताओं द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाइयों को कम करने का एक रास्ता है। उन्होंने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से पहली पंचवर्षीय योजना का लाभ लेने के लिए एफएसएसएआई को अपनाने को कहा। उन्होंने पंजीकरण की प्रक्रिया को उपभोक्ता के लिए और अधिक सुविधाजनक बनाने का सुझाव दिया। उन्होंने मध्यप्रदेश का उदाहरण दिया जहां मात्र 20 रु. का मामूली शुल्क लेकर साइबर कैफे पंजीकरण की प्रक्रिया करने के लिए मदद कर रहे थे। एफएसएसएआई की सीईओ, ने सीएसी का ध्यान एफएसएसएआई के संस्करण 3.0 की ओर आकर्षित किया जो कि एफबीओ/उपभोक्ताओं के लिए अधिक सुविधाजनक है।

हैदराबाद में एनआईएसजी के महा–प्रबंधक, श्री रघु गुडा, ने विभिन्न राज्यों में ऑनलाइन लाइसेंस और पंजीकरण की प्रगति पर और एफएसएसएआई के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में केंद्रीय लाइसेंसीकरण की प्रगति पर एक प्रस्तुतिकरण तैयार किया। उन्होंने एफएसएसएआई के संस्करण 3 की प्रमुख विशेषता के बारे में भी समझाया। उन्होंने अध्यक्ष को सूचित किया कि एफएसएसएआई के संस्करण 3 के माध्यम से, एफएससी ऑनलाइन एमआईएस प्रणाली के जरिए प्रदर्शन का आंकलन कर सकती है और फूड बिजनेस ऑपरेटर उनके आवेदन की स्थिति देख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के पेमेंट गेटवे से संबंधित प्रश्न के संबंध में श्री रघु गुडा ने सूचित किया कि एफएसएसएआई ने ऑनलाइन भुगतान के सभी साधनों के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा से उनके पेमेंट गेटवे के लिए करार किया। दिनांक 1 अप्रैल, 2014 से एफएसएसएआई में पेमेंट केवल ऑनलाइन प्राप्त की जाएगी।

श्री देशिकण ने पूछताछ की कि शिकायतों को ऑनलाइन एफएसएसएआई के जरिए पंजीकृत किया जा सकता है अथवा नहीं। जवाब में एफएसएसएआई के सीईओ ने बताया कि एफएसएसएआई शीघ्र ही एक ऑनलाइन शिकायत प्रणाली की स्थापना करनी की योजना बना रही है।

कार्यसूची मद सं. 7: फलों और सब्जियों, शीतल पेय और परोसने के लिए तैयार पेय पदार्थ के लिए दिशा–निर्देश और निगरानी योजना

एफएसएसएआई के सीईओ, ने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के बारे में याद दिलाया और सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से मजबूत चौकस प्रणाली की स्थापना करने और नियमित रूप से सभी खाद्य वस्तुओं की निगरानी करने का आग्रह किया। उन्होंने मासिक रिपोर्ट भेजने का भी आग्रह उनसे किया जिसे एफएसएसएआई में संकलित किया जा सके और आगे माननीय उच्चतम न्यायालय को प्रस्तुत किया जा सके।

कार्यसूची मद सं. 8: राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निगरानी योजना संबंधित समिति

गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल और गोवा के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों ने अपने–अपने राज्यों द्वारा की गयी निगरानी गतिविधियों की प्रस्तुतियां तैयार की।

गुजरात: प्रस्तुतिकरण गुजरात की उप–खाद्य सुरक्षा आयुक्त, डॉ. दीपिका चौहान द्वारा तैयार की गई। प्रस्तुतिकरण की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित थीं:

- दिनांक 01.01.2013 से 31.12.2013 तक की अवधि की खाद्य पदार्थों के नमूनों के विश्लेषण की रिपोर्ट दर्शाती है कि विश्लेषण किए गए कुल 22,383 नमूनों में से लगभग 167 नमूनों को असुरक्षित घोषित किया गया था।
- निगरानी गतिविधियों को दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया था:– (i) **क्रियात्मक निगरानी**: फूड बिजनेस ऑपरेटर से लिए गए विभिन्न श्रेणी के निगरानी के नमूनों को परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेजा गया और डीओ को रिपोर्टिंग के लिए खाद्य परिसरों का निरीक्षण शुरू किया गया और (ii) **यर्थाथ निगरानी**: एफबीओ द्वारा अध्ययन प्रकार का अभ्यास करने की कोशिश और बाजार का सामान्य दौरा लिया गया। इस प्रकार का सर्वेक्षण किसी भी अधिकारी द्वारा किया जा सकता है। शिकायतों के पंजीकरण हेतु उनका टोल फ्री नंबर: 1800 – 233 – 5500 है और एक शिकायत मॉड्यूल: http://www.gujhealth.gov.in/complaint भी है।
- निगरानी योजना खाद्य पदार्थ को 17 व्यापक श्रेणियों में विभक्त करके तैयार की गयी थी और उसे गुजरात के विभिन्न क्षेत्रों में लागू किया गया था। कुल 1688 निगरानी के नमूनों में से विश्लेषण किए गए 76 नमूने मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए।

तमिलनाडु: प्रस्तुतिकरण तमिलनाडु के खाद्य सुरक्षा आयुक्त, श्री कुमार ए. जयंत द्वारा तैयार की गई। प्रस्तुतिकरण की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित थीं:

- सभी 32 एओ और डीओ और लगभग 530 एफएसओ ने प्रशिक्षण पूरा किया।
- लगभग 52.8 प्रतिशत राज्य लाइसेंस और पंजीकरण अब तक पूरे कर लिए गए हैं।
- 6 राज्य खाद्य प्रयोगशालाएं हैं लेकिन केवल एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट है।

- निगरानी से संबंधित मुख्य गतिविधियां निम्नलिखित हैं:
  - दुकान में कच्ची खाद्य सामग्री की गुणवत्ता और भोजन तैयार करने में सफाई/स्वच्छता को सुनिश्चित करने के लिए मध्यान्ह भोजन केंद्रों का निरीक्षण किया गया।
  - गुणवत्तापूर्ण भोजन की महत्ता पर खाद्य विक्रेताओं/रसोइयों/उपभोक्ताओं आदि की जागरूकता बैठक।
  - खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आवश्यक जरूरतों को सुनिश्चित करने के लिए डिब्बाबंद पेयजल इकाइयों का निरीक्षण।
  - गुटखा और पान मसाला के प्रतिबन्ध आदेश की सख्त निगरानी।
  - विभाग ने विभिन्न खाद्य वस्तुओं के 1612 नमूने लिए और उनका विश्लेषण किया और उनमें से 785 नमूनेए अर्थात् 49% गैर–ब्रांड/असुरक्षित पाए।

महाराष्ट्र: प्रस्तुतिकरण महाराष्ट्र के खाद्य सुरक्षा आयुक्त, श्री महेश जगाड़े द्वारा तैयार की गई। प्रस्तुतिकरण की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित थीं:

- अपने राज्य में संबंधित अधिकारियों द्वारा लिए गए निगरानी के नमूनों पर एक सांख्यिकी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। उन्होंने एफएसएस (खाद्य उत्पादक मानक और खाद्य योगज) विनियम, 2011 के अनुसार सभी मापदंडों को जांचें जाने की आवश्यकता पर जोर दिया जहां नमूना नियमित परीक्षण के प्रयोजन और निगरानी के प्रयोजन के लिए था।
- महाराष्ट्र की निगरानी योजना निम्नलिखित कवर करती है –
  - **फलों और सब्जियों के लिए** – कम से कम 5 नमूने फलों के और 5 नमूने सब्जियों के हर तीन माह में (तीन माह जनवरी/अप्रैल/जुलाई में एक बार) प्रत्येक प्रभाग से बेतरतीब ढंग से तैयार किए जाने चाहिए। इसमें से कम से कम 2 नमूनों को धारा 38 (1)(ए) के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए।
  - **परोसे जाने के लिए तैयार फल पेय के लिए** – परोसे जाने के लिए तैयार फलों के पेय के कम से कम 5 नमूनों को 3 माह में एक बार (जनवरी/अप्रैल/जुलाई/अक्टूबर) प्रत्येक प्रभाग से बेतरतीब ढंग से संग्रहित किया गया। धारा 38 (1)(ए) के अनुसार प्रत्येक आरटीएसबी का कम से कम एक नमूना तैयार किया जाना चाहिए।
  - **कार्बोनेटेड पेय के लिए** – कार्बोनेटेड पेय के कम से कम 5 नमूनों को 3 माह में एक बार (जनवरी/अप्रैल/जुलाई/अक्टूबर) प्रत्येक प्रभाग से बेतरतीब ढंग से संग्रहित किया गया। धारा 38 (1)(ए) के अनुसार प्रत्येक कार्बोनेटेड पेय का कम से कम दो नमूने तैयार किए जाने चाहिए।

केरल: प्रस्तुतिकरण केरल के उप खाद्य सुरक्षा आयुक्त, श्री अनिल कुमार द्वारा तैयार किया गया था। उन्होंने सूचित किया कि निगरानी की योजना संवेदनशील विषयों जैसे दूध, फल, सब्जियां, मछली, मांस, इत्यादि पर तैयार की गई। उन्होंने अप्रैल, 2013 से फरवरी 2014 तक राज्य द्वारा आयोजित निगरानी की गतिविधियों की बारे में निम्नलिखित जानकारियां दीं:

- मछली के 43 निगरानी के नमूनों में से, फोर्मलिन की उपस्थिति कुछ मामलों में पाई गई।
- 85 नाग फलों और सब्जियों के नमूनों में कीटनाशकों का परीक्षण किया गया और सभी का मानदंडों के भीतर होना पाया गया।
- राज्य के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के टैंकरो में भरे जाने वाले पेयजल के 73 नमूनों का परीक्षण निजी एजेंसियों द्वारा किया गया और ऐसे मामलों में कॉलिफोर्म बैक्टीरिया की उपस्थिति पायी गई।
- एक बर्फ की फैक्ट्री में 68 परीक्षण किए गए। 23 मामलों में अमोनिया और कॉलिफोर्म की उपस्थिति पाई गयी। उसके बाद, इन फैक्ट्रीज को बंद कर दिया गया।
- 638 जूस की दुकानों का निरीक्षण किया गया और 168 दुकानों को नोटिस दिया गया और 38 दुकानें बंद थीं।
- 32 दूध के नमूने निगरानी योजना के तहत एकत्र किए गए थे और सभी मानदंडों के भीतर पाए गए।
- नारियल के तेल में पामगिरी तेल की मिलावट को रोकने के लिए रोकथाम कार्यवाही की गयी। इन टैंकरों को जब्त कर लिया गया और परिषिति फर्म के लाइसेंस निलंबित कर लिए गए।
- काली मिर्च में खनिज़ तेल की मिलावट कुल 750 में से 703 नमूनों में पाई गई। मामला केरल के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है।

गोवा: प्रस्तुतिकरण गोवा के खाद्य सुरक्षा आयुक्त, श्री सलीम ए वेलजी द्वारा तैयार की गई। उन्होंने राज्य द्वारा निर्मित निगरानी योजना प्रस्तुत की जो निम्नलिखित बिन्दुओं को कवर करती है:

- जेल में कैदियों के बीच भोजन की विषाक्तता की घटना होने के परिणामस्वरूप अगौडा जेल की कैंटीन/रसोई में निगरानी का कार्य संचालित किया जा रहा है।
- वाणिज्यिक प्रदर्शनियों/उपभोक्ता मेलों/धार्मिक स्थलों आदि पर खाद्य स्टालों की निगरानी का कार्य संचालित किया जा रहा है।
- गोवा सार्वजानिक स्वास्थ्य (संशोधन) अधिनियम, 2005 के तहत गुटखा और अन्य तंबाकू युक्त खाद्य वस्तुओं का नियंत्रण।

- बिना–लेबल लगी खाद्य वस्तुएं।
- खाद्य तेल, दुग्ध, दुग्ध उत्पादों, और अन्य खाद्य उत्पादों पर गुणवत्ता की जांच।
- उपभोक्ता जागरूकता/उपभोक्ता संगठनों का व्याख्यान/उपभोक्ताओं/कॉलेज और स्कूल के प्रिंसिपल।
- निदेशालय की वेबसाइट www.dfda.goa.gov.in पर अपलोड किए गए एफबीओ के लिए सफाई/स्वास्थ्य और स्वच्छता की स्थिति के दिशा–निर्देश

सभी प्रतिभागियों द्वारा सभी प्रस्तुतियों की बेहद सराहना की गई। यह निर्णय लिया गया था कि महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु, उत्तरप्रदेश और असम की एफएससीएस से मिलकर बनी समिति, एक एसओपी समेत निगरानी की गतिविधियों के लिए एक संरचित कार्यक्रम सुझाने के लिए गठित की जाएगी। एफएसएसएआई के एक अधिकारी समिति कार्य का समन्वय करेंगे। समिति अपनी औपचारिक सूचना के एक माह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

कार्यसूची मद नं. 9: राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में संगठनात्मक संरचना

निदेशक (प्रवर्तन) सुश्री विनोद कोतवाल ने समिति द्वारा किए गए कार्य के बारे में सीएसी को जानकारी दी, जिसे राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में संगठनात्मक संरचना को मानकीकृत करने के लिए संरचना व तौर–तरीकों को विकसित करने के लिए गोवा, उत्तर–प्रदेश, दिल्ली, मध्यप्रदेश, और महाराष्ट्र की एफएससी से मिलकर बनी पिछली सीएसी की बैठक में गठित किया गया था। समिति द्वारा विकसित मसौदा संरचना को टिप्पणियों के लिए सीएसी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। सीएसी के सदस्यों ने मापदंडों पर टिप्पणियां की जिनका इस्तेमाल मानवशक्ति अर्थात् भौगोलिक पैरामीटर या एफबीओ का निर्धारण करने के लिए किया जा सकता है द्य ज्यादा विचार–विमर्श करने के बाद, यह निष्कर्ष निकला गया था कि समिति बैठक में उठाए गए मुद्दों पर आधारित मसौदा प्रस्तावित संगठनात्मक संरचना की फिर से जांच करेगी। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश, लिखित रूप में एफएसएसएआई को अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं जिसकी चर्चा कथित प्रयोजन के गठित समिति की अगली बैठक में की जाएगी। एफएसएसएआई के सीईओ ने आगे कहा कि मॉडल संगठनात्मक संरचना को अंतिम रूप देने के बाद, इसे आधिकारिक तौर पर सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को अग्रेषित कर दिया जाएगा और यह संरचना 12वीं योजना में धनराशि जारी करने के लिए एफएसएसएआई और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के बीच हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापन का एक हिस्सा भी होगी।

कार्यसूची मद सं. 10: प्रशिक्षण और क्षमता का विकास

एफएसएसएआई के सीईओ ने किसी भी प्रकार के प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के लिए एफएसएसएआई सहायता प्रदान की। टीओटी कार्यक्रम में संकाय के लिए पात्र मापदंड के संबंध में उठाए गए सवाल के जबाव में, यह स्पष्ट किया गया था कि पात्रता मानदंडों से राज्य सरकारों को अवगत करा दिया जाएगा।

कार्यसूची मद सं. 11: कोडेक्स मानकों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ भारत की खाद्य मानक के अनुरूप वर्तमान स्थिति एफएसएसएआई के सलाहकार ने सीएसी को कोडेक्स मानकों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ भारत की खाद्य मानक के अनुरूप वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वर्तमान में प्राधिकरण में विभिन्न वैज्ञानिक पैनलों द्वारा प्रस्तावित समन्वित मानकों का आंकलन किया जा रहा है और एफएसएसएआई से अनुमोदित मसौदा डब्ल्यूटीओ को जुलाई, 2014 तक और अंतिम अधिसूचना दिसंबर, 2014 तक प्रस्तुत किए जाने की उम्मीद है।

श्री देसीकन ने प्रश्न उठाया कि कई ऊर्जायुक्त पेयपदार्थों में उच्च चीनी, उच्च कैफीन के बाद से मानक भारतीय परिदृश्य के साथ नहीं है। जवाब में एफएसएसएआई के सीईओ ने सूचित किया कि एफएसएसएआई पर वैज्ञानिक पैनल द्वारा ऊर्जायुक्त पेयपदार्थों पर मसौदा मानकों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

कार्यसूची मद नं. 12: अध्यक्ष की अनुमति के साथ कोई अन्य कार्यसूची

कोई नहीं

बैठक में उभरे क्रियान्वित होने वाले बिंदु:

बैठक के दौरान विचार–विमर्श के आधार पर क्रियान्वित होने वाले निम्नलिखित बिंदु उभर कर सामने आए:

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त से दिशा–निर्देशों पर और प्राथमिकता के आधार पर ईमेल/फैक्स के माध्यम से 10 मार्च, 2014 तक एफएसएसएआई के लिए "स्कूलों में उपलब्ध गुणवत्ता और सुरक्षित खाद्य पदार्थ बनाने के लिए मसौदा दिशा–निर्देश" पर विशेषज्ञों से प्राप्त टिप्पणियां प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया।
2. औपचारिक अधिसूचना से एक माह के भीतर निगरानी और एसओपी के संरचित कार्यक्रम को अंतिम रूप देने के लिए तमिलनाडु, गोवा, उत्तरप्रदेश, असम और महाराष्ट्र के खाद्य सुरक्षा आयुक्त से मिलकर बनने वाली एक समिति गठित की गई।

3. इस प्रयोजन के लिए सीएसी की 10वीं बैठक में गठित समिति द्वारा संगठनात्मक संरचना पर सुझाव पर विचार किया जाएगा और मसौदा संगठनात्मक ढांचे की फिर से जांच की जाएगी।
4. "वर्ष 2014–2015 के दौरान सुरक्षित भोजन की निगरानी इस प्रवर्तन की आधारशिला होगी।"
5. उपभोक्ता और आईईसी गतिविधियां एक बड़े रूप में की जानी हैं।
6. 12वीं योजना के तहत धनराशि मुक्त करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करते समय, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में ऑनलाइन एफआरएस को अपनाना एक महत्वपूर्ण मानदंड होगा।

बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।